

प्रेस नोट दिनांक- 05.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चेकिंग अभियान में दिनांक 04.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर कोतवाली कर्मी में 11 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 203/2020 धारा 498ए/304बी भादवि0 व ¾ दहेज प्रथा अधिनियम के वांछित अभियुक्त 1.रामदयाल पुत्र शिवसंता उर्फ टिरुआ उर्फ नेता रैदास 2. मोनू पुत्र रामदयाल निवासीगण पटना खालसा थाना राजापुर चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर
2. आरक्षी मनीष कुमार
3. आरक्षी लालू यादव
4. आरक्षी रोशन सिंह

(3). आज दिनांक 05.10.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती गीता देवी पत्नी छेदीलाल निवासी ददरी थाना मऊ चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री छेदीलाल उनके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्री बैजनाथ यादव तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार व महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती गीता देवी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर उसने पति श्री छेदीलाल से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही तथा पति श्री छेदीलाल द्वारा अपनी पत्नी से दुबारा मारपीट न करने की बात कही गयी। इस पर दोनों पक्षों में आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा दोनों पति-पत्नी को पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रज्जन पुत्र राम आसरे निवासी रामपुरवा थाना भरतकूप को 10 लीटर महुआ निर्मित अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में आबकारी अधि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि उ0नि0 श्री फिरोज खान एवं उनकी टीम वाहन चेकिंग कर रही थी, वाहन चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी एवं वाहन के कागज जांच हेतु मांगे गये तो जांच हेतु गाड़ी के कागज उपलब्ध नहीं करा सका साथ ही गाड़ी पर नम्बर प्लेट न होने के कारण वाहन को सीज किया गया।

बरामदगी-

10 लीटर महुआ निर्मित अवैध शराब

गिरफ्तार/बरामद करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री फ़िरोज खान

2. उ०नि० दयाल दास